IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

उत्तराखण्ड में घटित सड़क दुर्घटनाऐं

डॉ0 भाल चन्द सिंह नेगी

असि0 प्रोफेसर भूगोल

रा0 स्ना0 महावि0 कर्णप्रयाग,

चमोली, उत्तराखण्ड

सारांश (ABSTRACT)

प्रस्तुत शोध पत्र में क्षेत्रीय अध्ययन के अनुसार उत्तराखण्ड के अन्तर्गत होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का अध्ययन, दुर्घटानाओं के कारण, बारम्बारता तथा उनको रोकने के उपायों के परिपेक्ष में किया गया है। दुर्घटना धटित होने के कारण के रूप में पर्वतीय में परिचालन के लिऐ अनुपयुक्त वाहन व नौसिखिया चालक तथा यातायत नियमो की अज्ञानता और डग्गामार वाहनों के कारण दुर्घटनाऐं होती हैं तथा अधिकांश वाहन चालकों का नशे की हालत में वाहन चलाना भी दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण है। बसों की ओवरलोडिंग होना, चालकों का तीव्रगति से वाहन चलाना, ओवार टेक करने की दोष पूर्ण परिपाटी कठोर यातायात नियमों का अभाव, लाईसैंसिंग प्रणाली में दलाली प्रथा, लचीली लाईसेंन्स प्रणाली का होना भी दुर्घटनाओं का कारण है। सड़कों मे वाहनों की संख्या का दिन–प्रतिदिन बढना तथा वाहन चालकों की लापरवाही, अकुशल योजना से बनी सड़के, सड़को पर विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यो का कराया जाना, सड़कों पर मलमें के ढेर होना, सड़कों पर बड़े–बड़े गड्ढों का होना व सड़कों की जर्जार हालत में होना पालतु जानवरों को सड़को पर फालतू छोड़ देना, सड़कों के दोनो किनारों पर लम्बी लाईन में छोटे वाहनों को खडा रहना आदि प्रमुख कारण हैं।

सड़क दुर्घटनाऐं रोकने हेतु प्रबन्धन के तौर पर ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और यातायात पर नियंत्रण करने वाले दूसरे विभागों में समन्वय बनाने हेतु केन्द्रीय सहायता हो तो सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। लाईसेन्स जारी में दलाली प्रथा समाप्त करके, वाहन लाईसेंस के नियमों को कठोर बनाना, यातायात नियमो का सख्ती से पालन करना, आम नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना, सड़कों के रख–रखाव पर ध्यान देना, चालकों को समय–समय पर प्रशिक्षित किया जाना, सड़कों पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकना, सड़कों की चौडाई में पृष्ठतल बहारी उठान, विकास नालियों, सुपर एलोवेशन्श ढाल प्रति किलोमीटर आगे उठाना, पर्किंग प्लेश, कैची मोड, सड़कों का रख–रखाव व फालतू पशु को सडकों से हटवाना, खड्ड के साथ–साथ विविध निर्माण कार्यो पर रोक, गति अवरोध, किमी0 दूरी आदि पत्थर व साईन बोर्ड पर ध्यान देना, 10–15 वर्षों अधिक पुराने वाहनो को प्रतिबन्धित किया जाना चाहिऐं, ओवर लोड की प्रवृत्ति पर रोक के साथ–साथ परिवहन विभाग में व्यापत भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जानी चाहिऐ।

यदि उक्त विन्दूओं पर गम्भीरता से विचार किया जाय तो भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है, या दुर्घटनाओं पर समय रहते नियन्त्रण किया जा सकता है।

प्रस्तावनाः—पविहन के साधन मानव सभ्यता के विकास में प्रमुख स्थान रखते हैं, परिवहन के साधन मनुष्यों ,वस्तुओं व सांस्कृतिक सेवाओं के बीच की दूरी कम करने की छमता रखने वाले समस्त तकनीकी उपकरणों व संगठनों का प्रमुख घटक है। मानव के विकास में परिवहन साधनो का अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रकार मानव सामाजिकता की आवश्यकता को पूरा करने के सशक्त माध्यम के अलावा किसी क्षेत्र विशेष की संस्कृति की अभिव्यक्ति व समाजिक दूरियों को कम करने का भी सशक्त माध्यम है, परिवहन के साधन ग्रामीण क्षेत्रों में केवल मनोरंजन व सुविधा का साधन ही नहीं हैं, अपितु ये उस क्षेत्र विशेष की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ—साथ सांस्कृतिक सामाजिक, शिक्षा, राजनैकि और धार्मिक सभी सामाजिक पीछड़ेपन को दूर करने का सर्वोच्च माध्यम है। जहॉ परिवहन के साधन किसी राष्ट्र क्षेत्र की प्रगति का द्योतक कहे जाते हैं वहीं दूसरी ओर आये दिन घटने वाली सड़क दुर्घटनाऐं मानव की प्रगति में भी बाधक हैं। उत्तराखण्ड के विकास में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, किन्तु आये दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं से यहॉ के नागरिक सड़क पर चलने वाले वाहनो के साथ यात्रा करने वाले यात्री भी अपनी घटती उम्र मानकर यात्रा करने लगे हैं अर्थात ''उम्र से लम्बी ये सड़कें या उम्र की दुश्मन सड़के''।

उत्तराखण्ड में सड़क दुघटनाऐं— उत्तराखण्ड़ में लगातार बढती सड़क दुर्घटनाऐं चिंता का विषय बनते जा रहा है, राज्य में प्रतिवर्ष औसतन (03) तीन लोग कालग्रास हो रहे हैं। केंद्रीय सड़क पविहन और राज्य मार्ग मंत्रालय की रिर्पोट के आधर पर यह खुलास हुआ है। हर 100 दुर्घटनाओं मे 62 व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं, इस प्रकार उत्तराखण्ड़ देश में घटित होने वाले सड़क हादसों में 08वॉ स्थान रखता है। राज्य में साल दर साल सड़क दुर्घटनाओं का आकड़ा बढते ही जा रहा है, पिछले कुछ वर्षो के आकड़ों पर नजर दौड़ऐं तो वर्ष 2019 में 1352 सड़क दुर्घटनाऐं हुई जिसमें 867 लोगों ने अपनी जान गवाई, और 1457 व्यक्ति घायल हुऐ वर्ष 2020 में 1041 हादसों में 674 लोग मरे और 854 लोग घायल हुऐ, 2021 में 1405 दुर्घटनाओं में 820 लोगों की मौत हुई वही 1091 व्यक्ति घायल हुऐ थे, और 2022 में 1674 दुर्घटनाओं में 1042 लोगों की मौत हुई तो 1613 व्यक्ति घायल हुऐ,सड़क दुर्घटनाओं का आंकडा पिछले साल के मुकाबले 27.07 प्रतिशत बढ़ गया पिछले चार सालों में केवल सड़क हादसों में 3403 लोगों ने जान गवाई है और 2023 उत्तराखण्ड़ में 1220 सड़क दुर्घटनाओं में 750 लोग मरे व 1112 व्यक्ति घायल हुऐ, ये आकड़े प्रतिवर्ष बढते ही जा रहे हैं। राज्य में वर्षा या घना कोहरा हादसों का कारण ही नही है, बल्कि खिलखिलाती कड़ी धूप में सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाऐं घटित हुई है। आंकड़े साफ दर्शाते कि यह दुर्घटनाऐं सड़कों की खराब स्थिति, भीड़— भाड़ से पटी सड़कें, अव्यवस्थित नगरीय परिवहन, चालकों की लापरवाही, ओवर टेकिंग,ओवर लोड़िंग, लचर परिवहन नीति, पुराने ड़ग्गामार वाहन, पालतू जानवरों का सड़क घेरे रखना आदि कारणों से वर्ष दर प्रति दर सड़क हादसों में बृद्धि होती जा रही है।

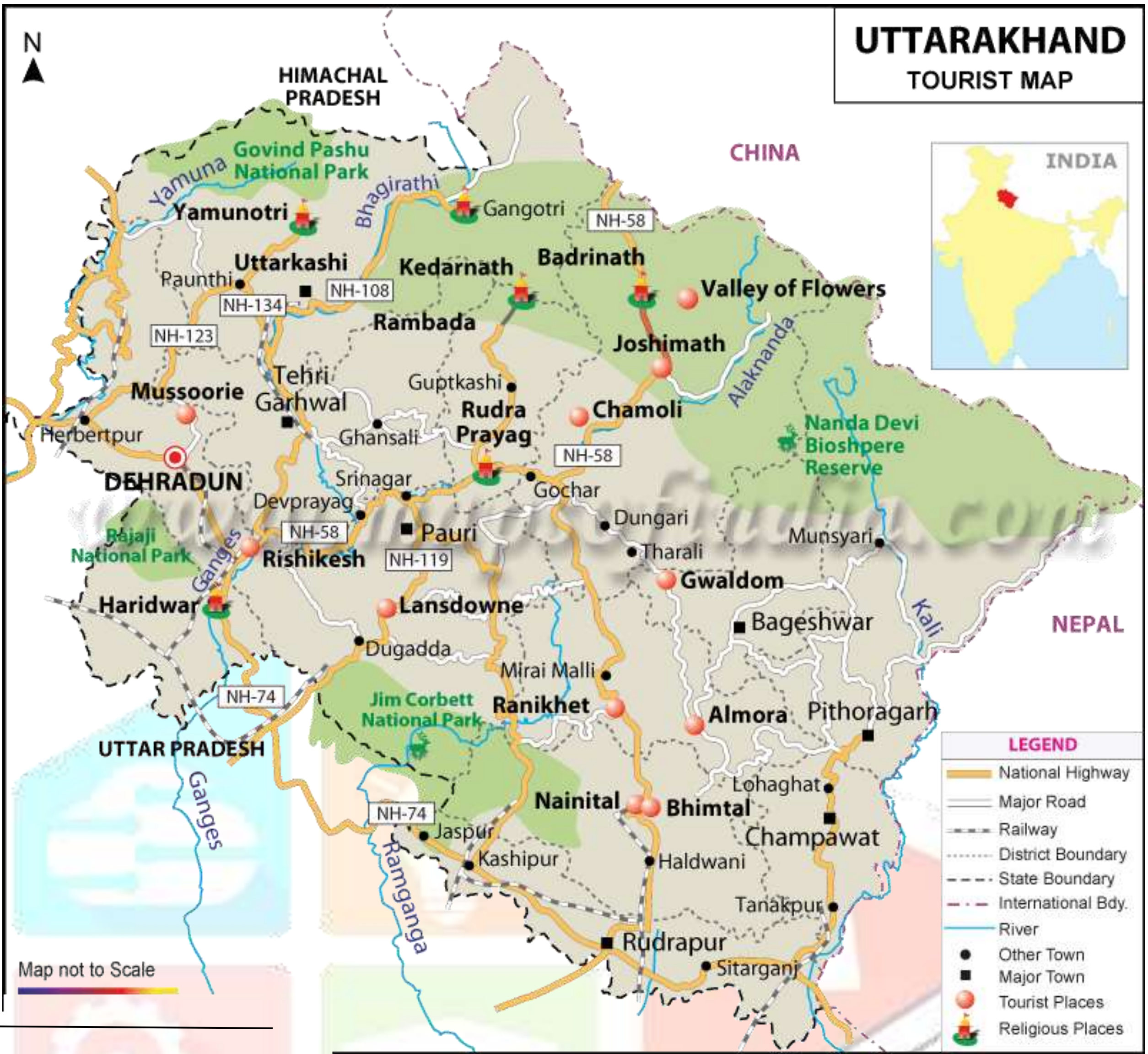

उत्तराखण्ड में जनपदवार सड़क दुर्घटनाओं के आकड़े

जनपद	वर्ष 2021	वर्ष 2022	प्रतिशत बढोत्तरी व कमी
देहरादून	365	465	27.40
उद्यम सिंह नगर	361	419	16.70
हरिद्वार	354	370	4.52
नैनीताल	177	246	38.98
टिहरी	32	40	25
पौड़ी	33	26	21.21
चम्पवत	11	25	127.27
उत्तरकाशी	17	25	47.06
पिथौरागढ़	12	16	33.33
अल्मोड़ा	21	13	38.10
चमोली	04	12	200
रूद्रप्रयाग	09	11	22.22
बगेश्वर	09	06	33.33

आकड़ा स्रात–दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, (04 मई 2022)ब्यौरो देहरादून,

उत्तराखण्ड मे जनपदवार सड़क दुर्घटनाओं की संख्या के आकड़े द्वारा प्रदर्शन–.

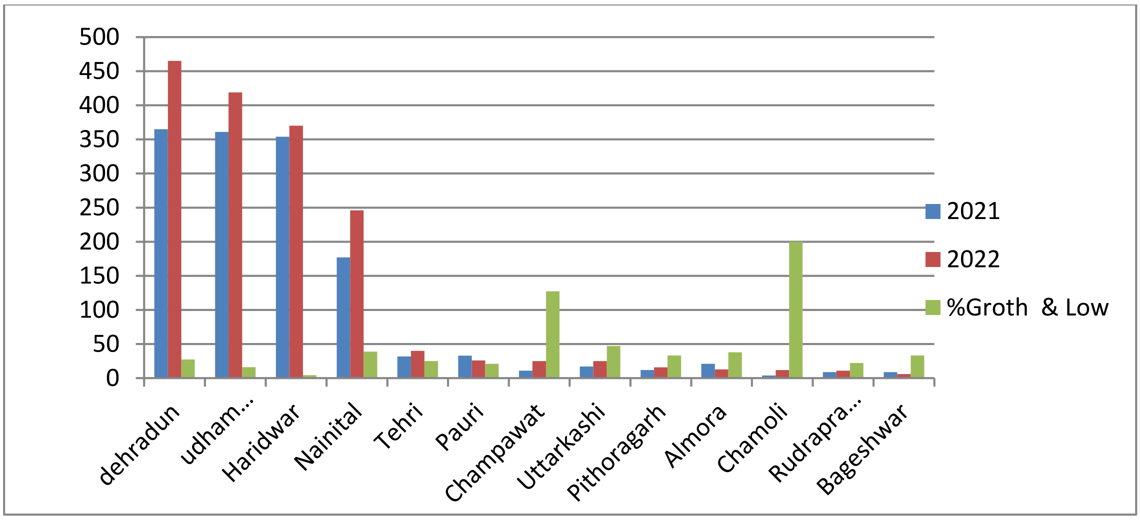

नगरीय परिवहन– उत्तराखण्ड़ में सन् 1960तक सड़कों का विकास बहुत कम हुआ था, तथा नगरीयकरण भी नाम मात्र का था। सन् 1962 के भारत चीन युद्ध के उपरान्त भारत सरकार का ध्यान इस क्षेत्र के विकास की ओर गया, इसके उपरान्त इस हिमालयी क्षेत्र में सड़कों का विकास द्रुतगति से हुआ। तदोपरान्त यहॉ नगरीकरण व कस्बाईकरण भी हुआ, जिस कारण आवागमन के साधनों में बेहद भीड़ भरी बसें, कार टैक्सी की छतों तक बाहन यात्रियों से पटकर जाने लगे। प्रत्येक शहर व कस्बे में भीड़ भी बढ़ने लगी, साथ–साथ जहॉ पहले इस क्षेत्र में 80 के दशक तक इक्का–दुक्का टैक्सी, कारे सड़कों पर दौड़ करती थी, वहीं आज प्रत्येक क्षेत्र में बसों, टैक्सी, सुमो, कारें,व छोटे दुपहिया वाहनों का जमवाड़ा देखने को मिलता है, वर्तमान समय में सभी सड़कों का चौडी करण होने के कारण वाहनों की तीव्रगति के कारण चालको द्वारा गतिनियन्त्रण खो देने से आये दिन दुर्घटनाओं का होना स्वाभाविक है। अकेले प्रतिदिन जी0एम0ओ0, के0एम0ओ0 की लगभग 500 बसें 3500 किमी0 लम्बे मार्गों की दूरी तय करती है जिनमें लगभग प्रतिदिन 15000 यात्री यात्रा करते हैं, इन बसों में भीड़ भाड़ और धक्का–मुक्की की बात करना आम बात है। प्रत्येक मोटर गाड़ी की छमता 42–43 सवारी ले जाने की है, लेकिन यात्राकाल व दफतर के समय ये 80–90 यात्रियों तक ले जाती है तथा सुमो, टैक्सियॉ अपनी छमता के 5 गुना यानी 25–30 सवारियों को कच्चे ग्रामीण मार्ग स`ले जाती पायी गयी है।

उत्तराखण्ड़ के शहरी क्षेत्रों देहरादून, हरिद्वार रूडकी, ऋषिकेश, श्रीनगर, रूद्रपुर काशीपुर, उद्यम सिंह नगर हल्द्वानी, काठगोदाम, रामनगर आदि मैदानी क्षेत्रों में भीड–भाड़ से पटी सडकों और दिन–ब–दिन वाहनों की संख्या में बृद्धि के कारण दफ्तर,स्कूल, कालेज के बक्त सड़कें भीड़–भाड़ से पटने के साथ ज्यादातर बड़े शहरों में व्यापारिक गतिविधियॉ शहर के मध्यभाग में केन्द्रीत होने के कारण सड़कों पर दबाव बढने से वाहनों व पैदल यात्रियों की भागम दौड़ के कारण आये दिन भीष्ण हादसे घटित होते देखे जा सकते हैं, इस अव्यवस्था के प्रमुख कारण हैं शहरी जनसंख्या का तेजी से बढना, रोज–रोज फैलते जा रहे शहर,व आवागमन में बृद्धि, शहरों के बीच व्यापार और लापरवाह वाहन चालक जो आये दिन दुर्घटनाओं को न्यौता दे रहे हैं।

असुरक्षित सड़कें– उत्तराखण्ड़ के पर्वतीय क्षेत्र में कोई भी सड़क मास्टर प्लान के आधार पर सर्वेक्षित नहीं है, यहॉ पर जो भी सड़क का निर्माण हुआ है, वह घाटियों और खोहों को आधार मानकर नदी घाटी के सहारे किया गया है, जबकि ऐसे अधिकांश स्थान स्थायी भूस्खलन के क्षेत्र हैं। टीएचडीसीआइएल की सर्वे रिपर्ट के आधार पर उत्तराखण्ड के पहाड़ी राज मार्गों पर 176 स्थानों पर भूस्खलन जोन बने है। .

FATAL ROAD ACCIDENTS OF UTTRAKHAND

District	2013	2014	2021
Uttarkashi	04	22	20
Tehri	17	64	40
Chamoli	42	53	07
Rudraprayag	13	09	08
Pauri	06	08	19
Dehradun	113	130	165
Haridwar	131	157	220
Nainital	90	82	80
US Nagar	198	205	230
Almora	07	04	13
Pithoragarh	13	10	06
Champawat	10	09	04
Bageshwar	09	00	08
TOTAL	636	753	820

SOURCE- NIC: STATE TRANSPORT DEPARTMENT OF UTTARAKHAND , TRANSPORT.UK.GOV.IN

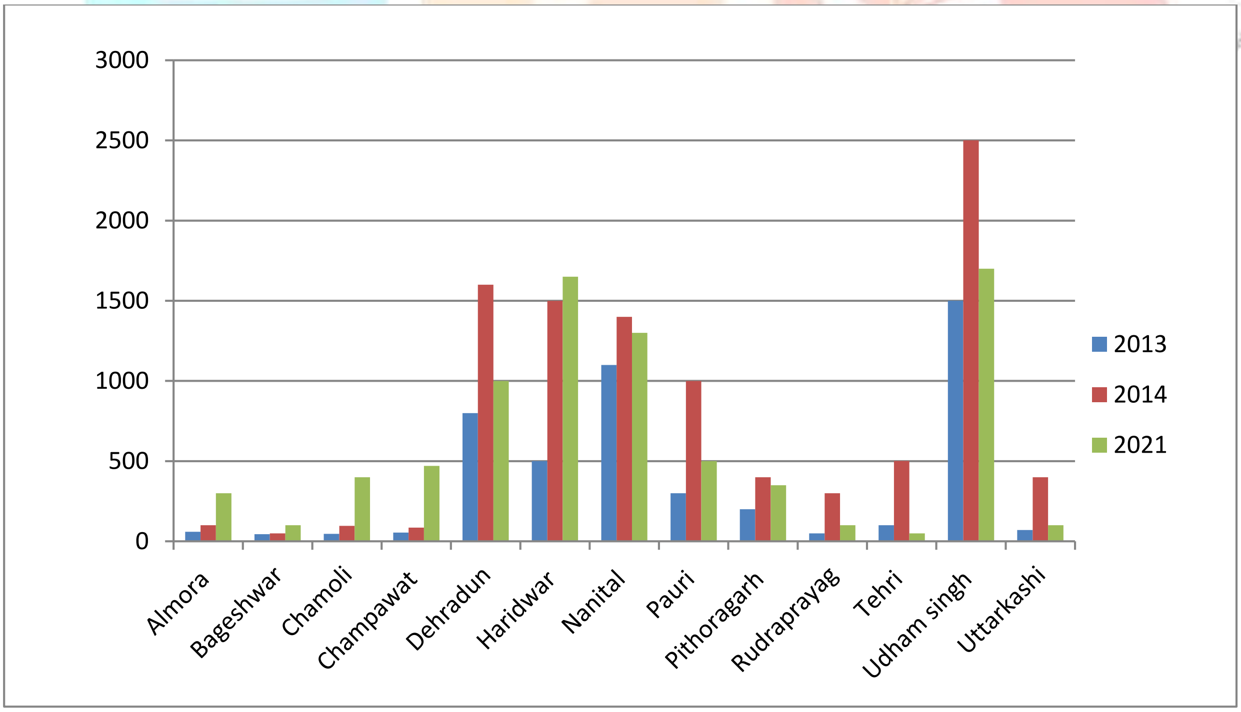

SOURCE- NIC: STATE TRANSPORT DEPARTMENT OF UTTARAKHAND , TRANSPORT.UK.GOV.IN

उत्तराखण्ड के प्रमुख सड़क मार्गों दिल्ली ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग न0 58 में कलियासौड़ (100 मीटर), सिरोबगड़ (500 मीटर), कमेड़—नगरासू (300 मीटर), कर्णप्रयाग—पंचपुलिया (300 मीटर), छिनका—पिपलकोटी (100 मी0), पाताल गंगा के पास (225 मी0), झरकुला म्रे(150मी0), लामबगड़ (500 मी0), और राष्ट्रीय राजमार्ग न0 109 रूद्रप्रयाग—गौरीकुण्ड—केदारनाथ पर लगातार भूस्खलन क्षेत्र तिलवाड़ा (14 मी0), बांसबाड़ा (28 मी0) है। राष्ट्रीय राजमार्ग

सं0 09 हल्द्वानी–अल्मोड़ा पिथौड़ागढ़ मार्ग में कैंची धाम के समीप, घाट, गंजी–लम्मारी,सेराघाट–गणाई, हल्द्वानी–नैनीताल राजमार्ग में बलदिया,ताकुला,बेलुवाखान, राष्ट्रीय राज्य राज मार्ग न0 21 कर्णप्रयाग–ग्वालदम–बैजनाथ–अल्मोड़ा मार्ग में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त स्थान नारायणबगड़ (150 मी0), हरमनी (500 मी0), लोलटी (300मी0), राष्ट्रीयराजमार्ग न0107,ऋषिकेश–टिहरी–उत्तरकाशी–गंगोत्री मार्ग पर धरासू बैण्ड (200 मी0), के अतरिक्त गंगोत्री राष्ट्रीय राज मार्ग पर चम्बा से लेकर धरासू के बीच 12 डेंजर जोन में रोमलगॉव धार, चिनियाली सौड के पास नगुड़, धरासू बैण्ड़ से सिलक्यार तक पाली गाड़ से फुल चट्टी तक इस मार्ग में 04 ड़ेंजर भूस्खलन जोन हैं। टिहरी क्षेत्र में सिंगटाली, महादेव चट्टी, तोता घाटी, तीन धारा, देवप्रयाग तहसील के निकट, मुल्या गॉव, पौडी में फरासू , चमधार, उत्तरकाशी में धरासू, छटांग, शिलवाई बैण्ड़, औजरी, खराड़ी, किसाला, पालीगाड़, केदारनाथ मार्ग पर बांसबाड़ा, काकड़ागाड़, सनबैण्ड़, व्यौंगाड़, मस्तुरा,मुनकटिया आदि स्थानों पर स्थाई भूस्खलन वाले स्थान हैं। इन स्थानो पर यात्राकाल में छोटी से लेकर बड़ी सड़क दुर्घटनाऐं आये दिन घटित होती जा रही है जिसमें आज तक सैकड़ों यात्री अपनी जान गवा चुके हैं। इसके अतरिक्त अन्य जिला मोटर मार्गों व अन्य ग्रामीण सम्पर्क मार्ग भी बड़ी मात्रा में वर्षाकाल में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जिससे बड़ी संख्या में यात्री यात्रा करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। आर0टी0ओ0कार्यालय पौड़ी की रिपार्ट के आधार असुरक्षित सड़कों के कारण मरने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिवर्ष 01 (एक) दर्जन से अधिक है तथा क्षतिग्रस्त मार्गों के कारण प्रतिवर्ष दुर्घटना होने वाले वाहन 6 प्रतिशत हैं, जो अनुपात में राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

चालकों की लापरवाही के कारण– उत्तराखण्ड़ में 58 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाऐं चालक की लापरवाही से और ओवरटेकिंग के कारण 25.77 प्रतिशत दुर्घटनाऐं घटित होना माना गया है। ड्राईवर की लापरवाही के कारण सड़क दुर्घटनाओं के घटित होने के बिन्दु निम्नवत हैं–

1. दुपहिया वाहनों से लेकर भारी वाहनों तक शराब पीकर, अनियन्त्रित गति से वाहन चलाना।

2.चालकों का वाहनों में असावधानी पूर्वक तेज आवाज में गाने बजाना तथा वाहन की तीव्रगति के साथ गानों की अदला बदली करना, जिसके कारण वाहन पर सन्तुलन खोकर मोड़ों पर दुर्घटनाग्रस्त होना।

3.चालक द्वारा तीव्र मोडो पर हार्न न बजाना और यातायात के नियमों का सही ढ़ंग से पालन न करते हुऐ उल्टी दिशा में वाहन चलाना ।

4. वाहन चालकों का स्थानिय मेले त्यौहारों के समय मौज–मस्ती के ढ़ंग से ड्राइविंग करना तथा वाहन की तकनीकी खामियों पर ध्यान केन्द्रीत न करना ।

5. ड्राइवरों का नौसिखिया व पूर्ण प्रशिक्षण का अभाव के कारण।

6. चालकों का कम वेतन के कारण मानसिक रूप से परेशान रहना व अनेक भावनों से ग्रसित होना।

7. वाहन चालकों के काम के घण्टे (समय सीमा) निश्चित न होना, दिन–रात बिना सोये वाहन चलाना,

डॉ0 के0के0अग्रवाल के अनुसार– खराटें लेने वाले चालकों द्वारा अन्य चालकों की तुलना में सड़क दुर्घटनाओं का अधिक होना।

विभिन्न कारण से घटित होने वाली दुर्घटनाओं का प्रतिशत–

क्र0सं0	दुर्घटनाओं के कारण	दुर्घटना प्रतिशत
1	चालक की लापरवाही के कारण	58
2	टैक्निकल कारण से	03
3	क्षतिग्र मार्ग या भूस्खलन से दुर्घटनाऐं	06
4	अन्य कारणों से सड़क दुर्घटनाऐं	33
	कुल दुर्घटनाए	100

स्रोत– आर0 टी0 ओ0 कार्यालय पौड़ी (गढ़वाल)

तकनिकी कारणों से होने वाली सड़क दुर्घटनाऐं–वाहनों में तकनीकी खराबी के कारण होने वाली दुर्घटनाऐं मात्र 03 प्रतिशत है जो वाहनों के स्टेरिंग फैल, यू बोर्ड़ के टूटने, स्टेरिंग की गोलियों के घिसने, ब्रेक का प्रसर न होना, साफ्ट का अचानक टूटना आदि (पौड़ी परिवहन प्रशासन सम्भागीय अधिकारी के अनुसार) तकनीकी कारणों से होने वाली सड़क दुर्घटनायें नाम मात्र की पायी जाती है। जो घटित होती भी है अचानक होती हैं जिनका अन्देशा नहीं लगाया जा सकता । 80 प्रतिशत तकनीकी खराबियॉ दुर्घटनाऐं घटने के पश्चात ही दिखाई जाती है।

पुरानी डग्गामार वाहनों के कारण– उत्तराखण्ड़ में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं का एक अन्य कारण पुरानी बसों का होना भी है। वर्तमान समय में उत्तराखण्ड़ वैकिल एक्ट के अनुसार विभिन्न परिवहन संस्थाओं व निगमों के 15–20 वर्षों से अधिक संचालित वाहनों की संख्या 5500 आंकी गई है, इन वाहनों में दुर्घटनाऐं होने का खत्रा हमेशा बना रहता है।

परिवहन नीति में खामियों के कारण– उत्तराखण्ड़ में सड़क दुर्घटनों का एक मुख्य कारण सरकार की लचीली परिवहन नीति के साथ–साथ सरकार का दुर्घटनाओं के प्रति लापरवाह होना, सरकारी परिवहन कार्यालयों द्वारा सरल व लचीली लाईसेसिंग प्रणाली का होना, योग्यता परखे बिना मात्र लाईसेंस वितरित करना और साथ में दलाली प्रथा का व्याप्त होना, आर0 टी0 ओ0 कार्यालयों में प्रशिक्षण केन्द्रों की व्यवस्था आदि का न होना, इस प्रकार परिवहन की सरकारी नीतियॉ भी सड़क दुर्घटनाओं का कारण बनती जा रही है।

सड़क पर लावारिस जानवरों के कारण– उत्तराखण्ड़ के पर्वतीय मार्गों पर पालतु लावारिश जानवरों (कुत्ता–बिल्ली, गाय–बैल, साड़, घोड़ा–खच्चर, बकरियों के झुंड़ आदि) का मुख्य मोटर मार्गों पर खड़े व पड़े रहने के कारण दुपहिया वाहन से लेकर छोटे–बड़े वाहन आये दिन यात्रा काल में इन जानवरों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, इस प्रकार की दुर्घटनाओं का कारण नगर प्रशासन व ट्रैफिक पुलिस को ठहराया जाय, जो लावारिश जानवरों के स्वामियों पर कार्यवाही नहीं करती है। अध्ययन कर्ता द्वारा विभिन्न स्थानों के मोटर मार्गों पर गणना किये गये जानवरों का विवरण स्थान सहित इस प्रकार दिया (ऋषिकेश–शिवपुरी में 09 गाय–बैल, व्यासी में 08 गाय–बैल, कलियासौड़ में 14, तीनधारा में 06, मलेथा में 09, कीर्तिनगर में11, भक्तियाण–श्रीनगर में 19, श्रीकोट में 13, धारी देवी में 06, रूद्रप्रयाग में 14, घोलतीर में 04, गौचर में 05, कर्णप्रयाग में 12, लगासू 03, नन्दप्रयाग में 04, चमोली में 08, इन पशुओं की संख्या समय के अनुसार घट, बढ़ भी सकती) गया है, यह गणना 23 दिसम्बर 2023 सुबह 10बजे से शाम 04बजे तक और 01 जनवरी 2024 सुबह 10बजे से शाम 04बजे तक की गई। इस प्रकार यह लावारिस जानवार विभिन्न मार्गों पर प्रति दिन दुर्घटनाओं को न्यौता दे रहे हैं।

उत्तराखण्ड में सड़क दुर्घटनाओं को राकने हेतु उपाय– उत्तराखण्ड़ के यात्रा मार्गों पर प्रतिदिन घटित होने वाली दुर्घटनाओं अर्थात मानवीयकृत आपदाओं से होने वाले जन–धन की अपार क्षति से आम नागरिक और सरकार लगातार चिंतित है, विश्व बैंक के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं से अर्थव्यवस्था

को प्रति वर्ष घरेलु उत्पादन का तीन से पॉच प्रतिशत नुकसान होता है। यही वजह है कि कुछ समय पूर्व देश के सर्वोच्च न्यायालय ने भी सड़क दुर्घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है।

अत्यधिकतीव्र गति (ओवर स्पीड) के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाएं–

उत्तराखंड राज्य के मैदान व पर्वतीय दोनों अंचलों में आज सड़कों का विकास जिस तीव्र गति से हो रहा है इस क्षेत्र में आए दिन तीव्र गति से सड़क दुर्घटनाएं भी घटती जा रही है प्रतिदिन उत्तराखंड में औसत औसतन दो से तीन लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण काल के मुंह में समा रहे हैं ओवर स्पीड के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है वर्ष 2024 मैं 1488 सड़कघटनाएं ओवर स्पीड के कारण घटित हुई है इसकी तुलना में वर्ष 2023 में 1691 दुर्घटनाएं घटित हुई और वर्ष 2024 में 1747 दुर्घटनाएं घटित हुई जो 331 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है इस प्रकार ओवर स्पीड उत्तराखंड में अभिशाप बनता जा रहा है यहां प्रत्येक दिन छोटी से लेकर बड़ी दुर्घटना घटती जा रही है उत्तराखंड की ट्रैफिक डायरेक्टेड से प्राप्त इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि ओवर स्पीड के चालान पर्वतीय जनपदों की तुलना में मैदानी जनपदों में अधिक की गई वर्ष 2023 में एनफोर्समेंट की कार्यवाही में बहुत 728626 चालान और वर्ष 2024 में यह संख्या 673015 दर्ज की गई

ओवर स्पीड के कारण घटित दुर्घटनाओं का आंकड़ा जनपद वार

जिला	वर्ष 2024	वर्ष 2023	कमी/वृद्धि
उत्तरकाशी	17	18	-5.56
टिहरी	54	47	+14.89
चमोली	22	17	+29.41
रुद्रप्रयाग	12	12	0
पौड़ी	31	24	+29.17
देहरादून	511	481	+6.24
नैनीताल	434	412	-5.34
हरिद्वार	170	195	-12.32
उद्धमसिंहनगर	422	425	-0.77
अल्मोड़ा	19	16	+18.75
पिथौरागढ़	24	18	+33.33
चम्पावत	26	21	23.81
बागेश्वर	5	5	0

Source: दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण , 17 जनवरी पृष्ठ- 3 देहरादून संस्करण, के अनुसार

ओवर स्पीड के कारण प्रवर्तन (enforcement) के आंकड़े जनपदवार- ट्रैफिक डायरेक्ट्रेट उत्तराखण्ड

जिला	वर्ष 2024	वर्ष 2023	कमी/वृद्धि
उत्तरकाशी	6485	8171	20.63
टिहरी	71749	73236	-2.71
चमोली	18540	15631	+18.61
रुद्रप्रयाग	7749	10637	-27.15
पौड़ी	37561	44975	-16.48
देहरादून	144844	206711	-29.93
नैनीताल	95878	90585	+5.84
हरिद्वार	96032	81023	-18.47
उद्धमसिंहनगर	114057	115096	-0.9
अल्मोड़ा	23867	25183	-2.02
पिथौरागढ़	11825	11990	-1.38
चम्पावत	20621	27275	4.58
बागेश्वर	18547	18066	+2.88

Source: दैनिक समाचार पत्र, दैनिक जागरण , 17 जनवरी पृष्ठ- 3 देहरादून संस्करण, के अनुसार

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु उपाय अथवा सुझाव- इन दुर्घटनाओं को रोकने के कुछ उपाय निम्न हो सकते हैं—

1. सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु सुरक्षा के दृष्टिगत जागरूकता के प्रयासों के साथ कानूनी प्रावधनो के साथ—साथ ट्रैफिक पुलिस, परिवहन विभाग और यातायात पर नियंत्रण करने वाले दुसरे विभागों मे जन समन्वय, सहभागिता व सहयोग बनाने हेतु केन्द्रीय समन्वय समिति की स्थापना करना।
2. सरकार द्वारा लाईसेंस देने के नियमों को कड़ा करना,, लाईसेंस जारी करने में दलाली प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंघ लगाना।
3. चालकों को समय—समय पर प्रशिक्षण दिया जाना, प्रशिक्षित वाहन चालकों की समय—समय पर योग्यता परीक्षण व चिकित्सकीय जॉच की अनिवार्यता हो।
4. दुर्घटनाओं को रोकने के लिये चालकों के स्वास्थ्य पर घ्यान देने के साथ चालकों का समय पर मैडिकल चैकप होने से भी सड़क दुर्घटनों को कम किया जा सकता है।
5. चालकों को मानसिक परेशानी से दूर रखते उन्हें पर्याप्त वेतन, भत्ते व सुविधाऐं दी जाय, चालकों व परिचालकों के काम के घण्टे सुनिश्चित किये जाय तथा उन्हें मार्गों पर खाद्य सामाग्री सहित विश्राम कक्षों व स्टेशनों पर मनोरंजन की व्यवस्था आदि का निर्धारण।
6. सड़कों के रख रखाव पर घ्यान देना, सड़कों को चौड़ा करना, सड़कों पर हो रहे अबैध निर्माण को रोकना, सड़कों की दुर्दशा सुधारने के साथ—साथ सड़कों पर फुटपाथ बनाने के सम्बन्ध में कुछ नये दृष्टिकोण से सोचना जरूरी है।
7. सड़कों की खस्ता हालत को दुरस्त करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाय। सड़कों की चौड़ाई, मोड तल, बाहरी उठान, सुपर ऐलोवेशंस, ढाल प्रतिकिलोमीटर उठान, ढाल आगे निकालने के स्थान, पार्किंग

प्लेस, कैची मोड़, खड्ड के किनारे सभी मोड़, विकास नालियॉ, गति अवरोधक, कि0मी0 पत्थर आदि बातों पर ध्यान देना।

8. **मोटर मार्गों में वर्षाकाल में वर्षा जल न रूके इसलिऐ सड़कों पर निकास नालियॉ, स्कबर का निर्माण किया जाय, जिससे सड़कों को नुकसान से बचाया जा सके।**
9. **भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मोटर मार्गों के रखरखाव पर ध्यान देते हुऐ सड़कों गड्डा मुक्त करने के साथ उनके पोस्ता व भूधंसाव स्थानों पर जल कटाव रोकने के उपाय किये जाय, जिससे समय–समय पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके।**
10. **परिवहन नीति में संशोधन कर कठोर परिवहन बनायी जाय, परिवहन व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश, परिवहन व्यवस्था सुधारने हेतु परिवहन जनजागरूकता अभियान चलाकर जनता की भागीदारी सड़क** दुर्घटनाओं को जरूरी है इसके लिऐ समय–समय पर यातायात के नियमों से सम्बन्धित कार्यशलाओं, प्रशिक्षण शिवरों का आयोजन किया जाय
11. वाहनों की फिटनेंस व चैकिंग समय–समय पर करके उनकी मरम्मत शीघ्र की जाया, वाहनों की ओवरटेकिंग की परपाटी पर कठोरता से कानूनी रोक लगाई जाय।
12. मोटर सड़कों पर खड़े–पड़े लावारिश जानवरों की पहचानकर पशु स्वामियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाय, और नगर पलिका,नगर निगम,नगरपंचायतों को जानवरों के कारण दुर्घटना होने पर दुर्घटना हेतु जिम्मदार मानते हुऐं सख्त कानूनी कार्यवाही का प्रवधान किया जाय जिससे दुर्घटनाओं को घटने से काफी हद तक रोका जा सकता है।
13. ओवर स्पीड से होने वाले दुर्घटनाओ पर तीव्र गति से रोक लगाई जाए व ऐक्सिडेंट के संदर्व में कारणों का गहनता से विश्लेषण किया जाना आवश्यक है जिस से सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। बाइकर्स या दो पहिया वाहन चालकों की तीव्र स्पीड पर व वाहनों को लहरा कर तथा स्टंट कर चलने पर शक्त कार्यवाही कर दंडित करने का प्रावधान कठोर किया जाए इस से सड़क दुर्घटनाएं में कमी आ सकती है । सड़क पर हो रहे विभिन्न संस्थाओं के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता के साथ एकरूपता के आधार पर संस्थाओं द्वारा समय सीमा के अंतर्गत निर्माण कार्यों का संपादन कोने से भी रोकी जा सकती है।
14. व्यापारियों द्वारा सड़कों पर अपना समान आदि से अधिक बिखेरने या लगाने पर प्रतिबंध किया जाए । और सड़क को दोनों तरफ खाली रखा जाए इस से दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है ।

यदि उक्त बिन्दुओं का गम्भीरता से पालन किया गया तो भविष्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में कमी की जा सकती है। इस हेतु सरकार की ठोस इच्छा शक्ति और यातायात के कड़े नियमों की आवश्यकता है। सड़क मार्गों की लगातार बढ़ती समस्याओं को देखते हुऐ, अब यातायात के नियमों में सख्त सजा और भारी जुरमाने का प्रवधान जरूरी है। साथ ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं से लेकर जन सामान्य तक सभी को सजग और संवेदनशील बनना होगा, साजे रास्तों के सफर में दायित्व बौध का भाव ही जीवन को सहेज सकता है।

सन्दर्भ सूची

1. योजना आयोग की नेशनल ट्रॉसपोर्ट पालिसी कमेटी 1980 की रिपोर्ट।

2. दिलीप चिंचालकर , (1983): पर्यावरण कक्ष, गॉधी शान्ति प्रतिष्ठान, कॉनिकल प्रेस, नई दिल्ली, पृष्ठ–96–97।

3. एनआईसी : स्टैट टसपोर्ट डिपार्ट मेंट ऑफ उत्तराखण्ड़, टासपार्ट,डॉट.यूके डॉट.गवरमेंट डॉट ईन।

4. दैनिक समाचार पत्र, जनसत्ता, समाचार, पीपुल डाईंग ईन रोड एक्सिडेंट, फ्राम जनसत्ता, डॉट कॉम।

5. दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला, (04 मई 2022)व्यौरो देहरादून, पब्लिस ,अनुराग सक्सेना।

6. दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला:30 जनवरी. 2022, पहाड़ी जिलों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ, व्यौरों देहरादून, पब्लिस

.7 दैनिक समाचार पत्र, , दैनिक जागरण , 17 जनवरी पृष्ठ- 3 देहरादून संस्करण ।